न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बहराइच
उपस्थित–शैली रॉय, उच्चतर न्यायिक सेवा
{J. O. Code No.– UP 6175}
CNR.No.UPBH010033912026

फौजदारी निगरानी सं०–174/2026

चिन्ताराम पुत्र माधवराम निवासी रेहुवा मन्सूर थाना रामगावं, जनपद बहराइच।

.....निगरानीकर्ता/वादी।

बनाम

राज्य सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा डी०जी०सी०(क्रिमिनल), बहराइच।

....उत्तरदाता/प्रतिवादी।

प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी, जिला मजिस्ट्रेट बहराइच द्वारा वाद सं०–988/2023–सरकार बनाम चिन्ताराम, अन्तर्गत धारा–5(क), अधिनियम उ०प्र० गौ–वध निवारण अधिनियम, जनपद–बहराइच में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित–04–12–2023 से क्षुब्ध होकर संस्थित की गयी है।

निगरानी के आधार–

2– निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी को निम्न आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि–

(I) थाना बौण्डी पर अपराध सं० 161/2023 धारा 429 आई.पी.सी. व 11 (1)घ पशु क्रूरता अधिनियम दर्ज हुई। दौरान विवेचना धारा 5 ए/8 गोवध निवारण अधिनियम की बढ़ोत्तरी की गयी। उक्त मामले में आवेदक का वाहन सं० UP40T6942 चेंचिस सं० MAT506205H8J20479 इंजन सं० 497 TC41JSY831023 को पुलिस द्वारा उपरोक्त अपराध सं० में जब्त कर लिया गया है।

(II) आवेदक द्वारा उपरोक्त वाहन रिलीज हेतु श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट महोदय बहराइच के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे जिला मजिस्ट्रेट महोदय बहराइच द्वारा 04.12.2023 को निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश विधि–विरूद्ध, तथ्यों के विपरीत एवं न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है। जिला मजिस्ट्रेट महोदय बहराइच द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये अवैध व मनमाना है, बिना जांच व उचित तथ्यों के विचार से पारित किया गया।

(III) वाहन का अपराध से सीधा सम्बन्ध सिद्ध नहीं हुआ है केवल सन्देह के आधार पर जब्ती की गयी है। आवेदक द्वारा न्यायालय श्रीमान् जे.एम. महोदय बहराइच पर अपना वाहन रिलीज कराने हेतु भी प्रार्थना पत्र दिया गया था, जो क्षेत्राधिकार न होने के कारण दिनांक 27.06.2023 को जे. एम. महोदय बहराइच के द्वारा निरस्त कर दिया गया तथाकथित घटना में नामित अभियुक्त सलमान की जमानत न्यायालय श्रीमान् सिविल जज (प्र०ख०)/एफ.टी.सी./ए.सी.जे.एम. महोदय बहराइच

Digitally signed by Shelly Roy
Date: 2026.07.25 10:12:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

के न्यायालय से दिनांक 29.05. 2023 को स्वीकृत हो चुकी है। आवेदक वाहन का वैध स्वामी है, समस्त अभिलेख आवेदक के नाम हैं।

(IV) वाहन थाना हाजा में खुले आसमान के नीचे खड़ा है, जिससे उसके कलपुर्जे खराब हो रहे हैं, इसलिये आवेदक को अपूर्णनीय क्षति हो रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देश हैं कि वाहन को अनावश्यक रूप से थाने में न रखा जाये (जैसेः– सुन्दरभाई अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य) जिला मजिस्ट्रेट महोदय बहराइच का आदेश न्यायसंगत नहीं है तथा इसमें विधिक त्रुटि है, इसलिये हस्तक्षेप आवश्यक है। जिला मजिस्ट्रेट महोदय बहराइच द्वारा पारित आदेश दिनांकित 04.12.2023 में दो आदेश एक साथ एक ही आदेश में पारित किये गये हैं, जो नियम विरूद्ध हैं व निरस्त होने योग्य हैं। अतः याचना की गयी है कि श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट महोदय बहराइच द्वारा पारित आदेश दिनांकित 04.12.2023 को निरस्त (Set Aside) किया जावे। आवेदक की जब्त गाडी वाहन सं0 UP40T6942 चेंचिस सं० MAT506205H8J20479 इंजन सं0 497TC41JSY831023 को सुपुर्दगी पर आवेदक के पक्ष में अवमुक्त करने का आदेश पारित करने की कृपा की जावे।

3– निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी के समर्थन में छायाप्रति नकल आदेश न्यायालय जिलाधिकारी बहराइच दिनांकित 04.12.2023, छायाप्रति आदेश न्यायालय जे०एम० बहराइच दिनांकित 27.06.2023, छायाप्रति आदेश न्यायालय सिविल जज प्र० खं०/ए० सी० जे० एम०/एफ० टी० सी० दिनांकित 29.05.2023, छायाप्रति ऋण अदायगी बिल, छायाप्रति प्रथम सूचना रिपोर्ट, छायाप्रति वाहन आर०सी०, छायाप्रति वाहन बीमा, छायाप्रतिवाटन परमिट, छायाप्रति फिटनेस व छायाप्रति आधारकार्ड दाखिल की है।

<u>प्रकरण के तथ्य–</u>

4– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि, उक्त वाहन संख्या UP40T6942 का प्रार्थी पंजीकृत स्वामी है। जिसे प्रार्थी का ड्राइवर सलमान चलाता है। दिनांक 27.05.2023 व 28.05.2023 को उक्त गाड़ी से ग्राम पंचायत बेहड़ा से आवारा व छुट्टा पशुओं को गांव वालों के सहयोग से सौगहना गौशाला फखरपुर तहसील कैसरगंज जनपद बहराइच भेजी जा रही थी। उक्त वाहन संख्या से आवारा व छुट्टा जानवरों का परिवहन हो रहा था। प्रार्थी की उक्त गाड़ी से दिनांक 27.05.2023 को सौगहना गौशाला फखरपुर में छुट्टा व आवारा पशु छोड़े गये। दिनांक 28.05.2023 जब ग्राम बेहड़ा से जानवर लेकर प्रार्थी की गाड़ी सौगहना गौशाला जा रही थी कि अचानक गाड़ी के सामने कुछ व्यक्तियों के आ जाने के कारण प्रार्थी के ड्राइवर ने ब्रेक लगायी, जिससे गाड़ी का बैलेन्स बिगड गया और साईगांव थाना बौण्डी के पास उक्त आदमियों को बचाने पर गाड़ी सड़क के नीचे जाकर पलट/दुर्घटनाग्रस्त हो गयी, जिसमें कुछ गौवंश गाड़ी पलटने के कारण चोटों से उनकी मृत्यु हो गयी। प्रार्थी के चालक सलमान पर 5ए/8 गोवध अधिनियम के अन्तर्गत धारा गलत लगायी गयी है, क्योंकि प्रार्थी का ड्राइवर गौवशं को ग्राम बेहड़ा थाना खैरीघाट से गौशाला सौगहना ले जा रहा था न कि गौवशं को वध हेतु ले जाया जा रहा था। गौवशं को वध हेतु

नहीं ले जाया जा रहा था, बल्कि ग्राम बेहड़ा से गौशाला सौगहना ले जाया जा रहा था और गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण गौवशों की मृत्यु हुई है, जिस कारण प्रार्थी के चालक व उसके अन्तर्गत प्रार्थी की गाड़ी पर गौवध अधिनियम की धारा 5ए/8 लागू नहीं होती है। प्रार्थी की गाड़ी धूप व बरसात में खड़ी रहने से क्षतिग्रस्त हो जायेगी। जिससे प्रार्थी को नुकसान संभावित है। ग्राम प्रधान बेहड़ा व ग्राम प्रधान सौगहना के प्रमाण–पत्र की छायांकन प्रति साथ में संलग्न है व फोटोग्राफ भी संलग्न है। प्रार्थी के वाहन के सारे प्रपत्र सही है। अन्त में वाहन संख्या यूपी UP40T6942 को पंजीकृत स्वामी के पक्ष में अवमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

5– मैंने निगरानीकर्ता व उत्तरदाता संख्या 01– उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्य का तथा आलोच्य आदेश दिनाँकित–04–12–2023 व विद्वान विचारण न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

6– निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी में यह आधार लिया गया है कि, आलोच्य आदेश विधि विरूद्ध अवैध एवं अवैधानिक है। बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये पारित किया गया है। घटना में नामित अभियुक्त सलमान की जमानत न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। विद्वान मजिस्ट्रेट ने सही तथ्यों एवं विधि का सही से अवलोकन न कर आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

7– निगरानीकर्तागण के उपरोक्त आधार के खण्डन में विपक्षी/उत्तरदाता सं०–1 उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क दिया गया है कि, आदेश विधिअनुसार तथ्यों का सही अवलोकन कर परित किया गया है। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश विधि अनुकूल है। निगरानी खारिज की जाये।

8– पत्रावली का सम्यक रूप से अवलोकन किया गया। आलोच्य आदेश व विद्वान विचारण न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली का सूक्ष्मता से परिशीलन किया गया।

9– पत्रावली के सम्यक अवलोकन से यह विदित होता है कि, प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक बहराइच की आख्या दिनांकित–14–07–2023 के आधार पर प्रारम्भ की गयी थी। आख्यानुसार "थानाध्यक्ष बौण्डी जनपद बहराइच द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांकित 13.07.2023 के माध्यम से थाना बौण्डी जनपद बहराइच पर पंजीकृत मु०अ०स० 161/2023 धारा 429 भा०द०वि० व 11 (1) (घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व 5 (ए)/8 गोवध निवारण अधिनियम से सम्बंधित बरामद वाहन संख्या यूपी 40 टी/6942 डीसीएम जिसकी कीमत करीब 390000/ रूपये है। उक्त वाहन को गोवध निवारण अधिनियम की धारा 5(ए) की उप धारा (7) के अन्तर्गत जब्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। अतः थानाध्यक्ष की रिपोर्ट मय संलग्नक सहित इस आशय से प्रेषित है कि गोवंश को परिवहन करने वाले उक्त डीसीएम वाहन संख्या यूपी 40 टी/6942 को जब्त किये जाने के सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय पर वाद पंजीकृत किया गया तथा विपक्षी द्वारा

जरिए अधिवक्ता उपस्थित आकर अपना पक्ष रखा गया तथा वाहन के सम्बन्ध में कागजात प्रस्तुत किये गये तथा वाहन रिलीज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा प्रार्थना पत्र के साथ सूची के माध्यम से वाहन से सम्बन्धित कागजात व ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सौगहना द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांकित–07–05–2023 व दिनांक 28–05–2023 की छायाप्रति, ग्राम प्रधान बेहड़ा द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांकित–28–05–2023 की छायाप्रति दाखिल की है। वाहन रिलीज किये जाने की याचना की गयी। किन्तु विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वाहन रिलीज प्रार्थना पत्र को निरस्त कर वाहन को जब्त करने का आदेश पारित किया गया।

10– विचारण न्यायालय की तलब शुदा पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि, निगरानीकर्ता द्वारा अपने कथनो के समर्थन में सूची के माध्यम से वाहन से सम्बन्धित कागजात व ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सौगहना द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांकित–07–05–2023 व दिनांक 28–05–2023 की छायाप्रति, ग्राम प्रधान बेहड़ा द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांकित–28–05–2023 की छायाप्रति दाखिल की है जिनके अवलोकन से विदित होता है कि, प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम प्रधान व ग्रामवसिया के कहने पर मवेशियो को लाद कर गौशाला में छोड़ने हेतु ले जा रहा था ना कि वध करने साथ ही यह विचारण के दौरान साक्ष्य से देखे जाने का विषय है कि, वह पशु गौशाला ही जा रहे थे अथवा बिक्री के लिए। जहां तक आलोच्य आदेश में यह कथन है कि, प्रार्थी के पास वैध परमिट नहीं था। इस सम्बन्ध में उ०प्र० गौवध निवारण नियमावली 1964 यह प्रावधानित करती है कि राज्य से बाहर पशु ले जाने के लिए परमिट की आवश्यकता होती है एवं जैसा की स्पष्ट है कि प्रार्थी की गाडी किसी भी दूसरे राज्य से लगी सीमा में नहीं पकडी गयी है। प्रार्थी का कथन है कि, वह गौवंश को गौशाला ग्राम प्रधान के आदेश पर छोड़ने जा रहा था जिसके समर्थन में उसके द्वारा ग्राम प्रधान का प्रमाण पत्र व ग्रामवाशियों का प्रमाण पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं इस पर अविश्वास करने का इस स्तर पर कोई कारण नहीं है। प्रार्थी की गाडी थाने की खड़ी रहने से उसके खराब होने की आशंका है। ऐसे में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुन्दर भाई अम्बालाल देसाई बनाम स्टेट आफ गुजरात 2003(1) जे०आई०सी० 615 में दिये गए** अभिमत के आधार पर वाहन निगरानीकर्ता के पक्ष अवमुक्त किये जाने योग्य है। उक्त वाहन को निरूद्ध रखने का कोई औचित्य नहीं है।

11– अतः उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में यह न्यायालय इस मत का है कि, विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पारित आदेश में अवैधानिकता एवं अनियमितता दर्शित हो रही है। विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय का आदेश विधि के स्थापित सिद्धान्तों के अनुकूल पारित किया जाना दर्शित नहीं हो रहा है। ऐसे में विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पारित आदेश बने रहने योग्य नहीं है। विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

निगरानीकर्तागण की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी संख्या–**174/2026**–चिन्ताराम आदि बनाम सरकार **स्वीकार** की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित–04–12–2023 निरस्त किया जाता है। विचारण न्यायालय को यह आदेशित किया

जाता है कि, वह निर्णय में दिये गये अभिमत के आधार पर विधि अनुसार कार्यवाही करें।

विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली, निर्णय की एक प्रति के साथ अबिलम्ब विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाये।

बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(शैली रॉय)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
बहराइच।

दिनाँकः 25–07–2026

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनाँकित करके उद्घोषित किया गया।

(शैली रॉय)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
बहराइच।

दिनाँकः–25–07–2026